उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या- 202/2015/1629/9-8-15-70ज/15
लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित भारत सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों, बजट से सम्बन्धित कार्य स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित विशिष्ट कार्य, नवघोषित " अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (AMRUT), स्मार्ट सिटी योजना एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम, नगरीय परिवहन, राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं का क्रियान्वयन आदि से सम्बन्धित कार्य, उत्तर प्रदेश जल निगम /जल संस्थान एवं उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावलियों से आच्छादित कार्मिकों के अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यो, नियमावलियों के प्राख्यापन तथा पशुवधशालाओं के संचालन हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति से सम्बन्धित कार्यो के निष्पादन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किये जाने एवं विभाग के अन्य महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्यो का सुचारू रूप से निस्तारण किये जाने हेतु "विशेष कार्याधिकारी" का एक निःसंवर्गीय अस्थायी पद, वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे रूपये 8700/- में 06 माह के लिए सृजित करते हुए, उक्त पद पर श्री उमा शंकर सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित सेवा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्नियुक्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. श्री उमा शंकर सिंह को पुनर्योजन अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

2. पुनर्योजन की अवधि में श्री सिंह को वेतनबैण्ड-4, सादृष्य वेतनबैण्ड/वेतनमान रूपये 37400-67000, सादृष्य ग्रेड वेतन रूपये 8700/- के अन्तर्गत पुनर्योजित समझा जायेगा तथा इन्हें वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्व पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के

s.o. u.o

अधिकतम, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में उन्हें शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर यथा अनुमन्य भत्ते देय होंगे। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

3. श्री सिंह को उक्त अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम 157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

4. उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद पर कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. उक्त अवधि में श्री सिंह को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे, जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16 ए में प्राविधान है, अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

6. श्री सिंह को उक्त अवधि में अस्थायी तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।

7. उक्त निःसंवर्गीय/ पद की प्रास्थिति में श्री सिंह को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय" के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पंजी. संख्या-यू0ओ0ई-8-1940/दस-2015 दिनांक 06 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

s.o. u.o

संख्या- 1629 (1)/9-8-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7 निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, संसदीय कार्य, नगर विकास, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जल सम्पूर्ति, मुस्लिम वक्फ, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, उत्तर प्रदेश शासन।
8 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, संसदीय कार्य, नगर विकास, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जल सम्पूर्ति, मुस्लिम वक्फ, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, उत्तर प्रदेश शासन।
9 समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव/समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग/गंगासेल/सूडा/लेखा प्रकोष्ठ।
10 निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11 प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम।
12 समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
13 समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/पंचायत, उत्तर प्रदेश।
14 इरला चेक अनुभाग।
15 कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
16 निदेशक, पेन्शन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
17 सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1/7/8/9/बजटसेल (अधि0)।
18 वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/9/वित्त(सामान्य) अनुभाग-3
19 सम्बन्धित अधिकारी।
20 गार्ड फाईल।

06/7/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

s.o. u.o